

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज०)

कमांक:- स्था./2023/09

दिनांक :- 15.03.2023

-:: कार्यालय आदेश ::-

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र कमांक: Gen/XV/54/2020/3325 दिनांक 30.05.2020 की पालना में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डूंगरपुर जिला न्याय क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों के द्वारा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान लेखबद्ध करने बाबत पूर्व में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए यह आदेश किया जाता है कि निम्नलिखित सारणी में कॉलम संख्या 02 में अंकित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले पुलिस थानों में दर्ज होने वाले मामलों में धारा 164 द.प्र.सं. के तहत बयान लेखबद्ध करने का कार्य उस न्यायालय के नाम के आगे कॉलम संख्या 03 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संपादित करेंगे तथा कॉलम संख्या 03 में अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने पर या राजकीय कार्य से अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर जाने पर धारा 164 द.प्र.सं. के तहत बयान लेखबद्ध करने का कार्य आगामी लिंक अधिकारी द्वारा संपादित किया जाएगा।


| क्र. सं. | नाम न्यायालय जिसके क्षेत्राधिकार में पुलिस थाना है | न्यायालय जिसका पीठासीन अधिकारी धारा 164 द.प्र.सं. के तहत बयान लेखबद्ध करेगा | 1st Link Officer | 2nd Link Officer | 3rd Link Officer |
|----------|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1. | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिछीवाड़ा |
| 2. | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिछीवाड़ा |
| 3. | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आसपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |
| 4. | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिछीवाड़ा |
| 5. | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिछीवाड़ा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |
| 6. | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिछीवाड़ा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |
| 7. | न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आसपुर | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |
| 8. | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आसपुर | न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसपुर | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |
| 9. | न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बिछीवाड़ा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा | न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर |



01. उक्त तालिका अनुसार किसी लिंक अधिकारी के उपलब्ध नही होने की दशा में धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान लेखबद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के समक्ष निर्देश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

02. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave Petition (Crl.) No. 5073/2011 State of Karnataka Vs Shivanna @ Tarkari Shivanna में पारित आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2014 की पालना में अनुसंधान अधिकारी को ऐसे कथनों की प्रति उक्त कथनों की अर्न्तवस्तु की जानकारी प्रकरण में नतीजा पेश होने तक किसी को प्रकट नही करने के निर्देश के साथ दी जावे।

03. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक GEN/XV/45/2006(Committee)/655 दिनांक 21.02.2023 द्वारा चाईल्ड केयर इन्स्टीट्यूशन में रहने वाली चाईल्ड विक्टिम के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान ऐसी चाईल्ड केयर इन्स्टीट्यूशन में ही न्यायालय समय के पूर्व अथवा पश्चात् अथवा अवकाश के दिन लेखबद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः डूंगरपुर स्थित चाईल्ड केयर इन्स्टीट्यूशन में भर्ती चाईल्ड विक्टिम के धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान हेतु प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के समक्ष निर्देश प्राप्त करने हेतु पेश किया जायेगा।



(वैभव कुमार टेलर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर(राज.)

क्रमांक:- स्था./2023/257

दिनांक :- 15.03.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डूंगरपुर।
02. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर को अपने अधीनस्थ समस्त थानों को सूचित करने हेतु।
03. श्रीमान् प्रभाराधिकारी, केन्द्रीयकृत नजारत शाखा, जिला न्यायालय, डूंगरपुर।
04. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/सागवाड़ा।
05. न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर/आसपुर/सीमलवाड़ा।
06. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर।
07. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, आसपुर/बिछीवाड़ा।
08. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, डूंगरपुर को डूंगरपुर न्यायक्षेत्र के समस्त बार को सूचित करने।
09. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, डूंगरपुर।
10. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कन्ट्रोल रूम, डूंगरपुर।
11. सिस्टम असिस्टेन्ट, जिला न्यायालय, डूंगरपुर को ई-कोर्ट वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय प्रति।


(वैभव कुमार टेलर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
डूंगरपुर(राज.)